रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230410
CG-DL-E-14102021-230410

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3908] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/ आश्विन 22, 1943
No. 3908] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ ASVINA 22, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4255(अ).—यतः, मै. एल एण्ड टी कन्स्ट्रक्शन इक्विप्मन्ट लिमिटेड (रियलटी डिवीजन) एसईजेड-II, ने कर्नाटक राज्य के गाँव बयातारयापुरा, येलहंका हुबली, बैंगलुरू उत्तर, बैंगलुरू में आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और, यतः केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के राजपत्र सं. का.आ. 1130(अ) दिनांक 31 मार्च, 2017 के तहत उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में 4.95 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै. एल एण्ड टी कन्स्ट्रक्शन इक्विप्मन्ट लिमिटेड (रियलटी डिवीजन) एसईजेड-II ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से 4.95 हेक्टेयर के संपूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, कर्नाटक सरकार ने उनके पत्र सं. सीआई 182 एसपीआई 2020 (अ) दिनांक 15.12.2020 के तहत प्रस्ताव को सहमति दे दी है;

और यतः, विकास आयुक्त, कोचीन, एसईजेड ने विशेष आर्थिक जोन के 4.95 हेक्टेयर के संपूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अत: अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित छोड़कर, रद्द करती है। कर्नाटक सरकार द्वारा दिनांक 15.12.2020 के पत्र द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के अनुसार अनधिसूचित भूमि का उपयोग आईटी/आईटीईएस पार्क के लिए किया जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/13/2017-एसईजेड]

अमिताभ कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th October, 2021

S.O. 4255(E).— Whereas, M/s. L&T Construction Equipment Ltd. (Realty Division) SEZ-II had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for IT/ITES at Byatarayanapura Village, Yelahanka Hobli, Bangaluru in the State of Karnataka.

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, notified an area of 4.95 hectares vide Ministry of Commerce and Industry Notification Number S.O.1130(E) dated 31st March, 2017;

AND, WHEREAS, M/s. L&T Construction Equipment Ltd. (Realty Division) SEZ-II has now proposed to de-notify entire area of 4.95 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given its No Objection to the proposal vide letter No. CI 182 SPI 2020 (E) dated 15.12.2020;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin, Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 4.95 Hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission. The de-notified land will be used for IT/ITES Park as per No Objection Certificate (NOC) issued by Government of Karnataka vide letter dated 15.12.2020.

[F. No. F. 1/13/2017-SEZ]

AMITABH KUMAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM